न्यायालय राजस्व मण्डल, मध्य प्रदेश ग्वालियर

समक्ष

एम0के0सिंह

सदस्य

निगरानी प्रकरण क्रमांक 897/II/2008 – विरूद्ध आदेश दिनांक 18.07.2008 – पारित व्दारा अपर आयुक्त, चम्वल संभाग, मुरैना – प्रकरण क्रमांक 114/2007–08 अपील

राहुल मिश्रा पुत्र सिद्ध गोपाल मिश्रा
निवासी ग्राम फूफ तहसील व जिला भिण्ड ——आवेदक

विरूद्ध

जसबन्त सिंह (मृतक) पुत्र गजराज सिंह

वारिस

1– श्रीमती कैलाशी पत्नि स्व.जसबंत सिंह
2– रामनरेश 3– सिध्द गोपाल 4– राजेश
5– उमेश चारों पुत्रगण स्व. जसबंत सिंह
सभी निवासी ग्राम फूफ तहसील भिण्ड ——अनावेदकगण

(आवेदक के अभिभाषक श्री एस0के0अवस्थी)
(अनावेदक क्र. 1,2,4,5 के अभिभाषक श्री रामसेवक शर्मा)
(अनावेदक क्र. 3 सूचना उपरांत अनुपस्थित – एकपक्षीय)

आ दे श

(आज दिनांक 10 – 1 – 2016 को पारित)

यह निगरानी अपर आयुक्त, चम्वल संभाग, मुरैना के प्र. क्र. 114/2007–08 अपील में पारित आदेश दि. 18.07.08 के विरूद्ध म.प्र. भू राज. संहिता,1959 की धारा 50 के तहत प्रस्तुत की गई है।

2/ प्रकरण का सारॉश यह है कि मौजा अंधापुरा स्थित खाता क्रमांक 131 की भूमि सर्वे क्रमांक 109, 136, 194 कुल किता 3 कुल रकबा 1.117 है. जसबंत एंव सुखानंद के नाम हिस्सा 1/2 पर सामिलाती अंकित थी। सुखानंद की मृत्यु उपरांत उसके वारिस जसबंत का नामान्तरण ग्राम की नामांत्रण पंजी के सरल क्रमांक 9 पर आदेश दि. 20.9.2007 से किया गया। इस आदेश के विरूद्ध आवेदक द्वारा

अनुविभागीय अधिकारी, अटेर के समक्ष अपील क्र.1/2007-08 प्रस्तुत करने पर आदेश दि. 24-1-08 से अपील अस्वीकार की गई। इस आदेश के विरूद्ध अपर आयुक्त, चम्बल संभाग, मुरैना के समक्ष अपील क्र. 114/2007-08 प्रस्तुत होने पर आदेश दिनांक 18-7-2008 से अपील निरस्त की गई। इसी आदेश के विरूद्ध यह निगरानी है।

3/ उभय पक्ष के अभिभाषकों के तर्क सुने तथा अधीनस्थ न्यायालय के अभिलेख का अवलोकन किया गया। अनावेदक क्र. 3 सूचना उपरांत अनुपस्थित रहने से एकपक्षीय है।

4/ आवेदक के अभिभाषक ने तर्को में बताया कि जसबंत पुत्र गजराज सिंह विवादित खाते का सह-हिस्सेदार है। सुखानंद के कोई ओलाद नहीं थी इसलिये वह आवेदक के पिता के साथ रहता था इसी कारण सुखानंद ने अपने हिस्से की संपूर्ण कृषि भूमि का बसीयतनामा दिनांक 23.8.2004 आवेदक के हित में लिखवाया है। मृतक सुखानंद की तेरहवीं एंव समस्त कियाकर्म आवेदक ने किये हैं परन्तु जसबंत ने जानबूझकर पटवारी से सॉठ-गॉठ करके नामांत्रण पंजी पर मृतक सुखानंद की भूमि पर नामान्तरण कराया है जो विधि विरूद्ध है इसलिये निगरानी स्वीकार की जावे। अनावेदक क्र. 1,2,4,5 के अभिभाषक ने तर्क दिया कि जसबंत सिंह एंव सुखानंद सगे भाई थे दोनों साथ रहते थे। सुखानंद के कोई ओलाद नहीं होने से उसकी कृषि भूमि जसबंत सिंह को सगा भाई होने के कारण जायेगी। उन्होंने निगरानी निरस्त करने की मांग की।

5/ उभय पक्ष के अभिभाषकों के तर्को पर विचार करने एंव अधीनस्थ न्यायालय के अभिलेख के अवलोकन से यह तथ्य निर्विवाद है कि कास्तकार सुखानंद बेओलाद मरा है। यह तथ्य भी निर्विवाद है कि जसबंत सिंह एंव सुखानंद सगे भाई हैं तथा सुखानंद व्दारा धारित भूमि उसकी स्वअर्जित भूमि नहीं है अपितु उसे पिता से उत्तराधिकार में

हिस्सा 1/2 पर प्राप्त भूमि है। सहखातेदार ऐसी भूमि बसीयत नहीं कर सकता, जब तक कि खाते का विभाजन नहीं हो गया हो, क्योंकि कौनसा हिस्सा व कितनी भूमि सहखातेदार को बटवारे में जायेगी, बटवारे के वाद ही पता चल सकता है। वाद विचारित भूमि सहखाते की है ऐसी भूमि की बसीयत है भी - बसीयतग्रहीता को नामान्तरण की पात्रता नहीं है, क्योंकि सुखानन्द एंव जसबंत सिंह को पिता गजराज सिंह से विरासत में प्राप्त भूमि गजराज सिंह के बॅशजों को विरासत में जायेगी । अतः मृतक सुखानंद के तत्समय जीवित भाई जसबंत सिंह को नामान्तरण कराने की पात्रता होने से ग्राम की नामांत्रण पंजी के सरल क्रमांक 9 पर आदेश दिनांक 20.9.2007 से गजराज सिंह का किया गया नामान्तरण अधीनस्थ न्यायालयों ने सही होना माना है। अपर आयुक्त, चंबल संभाग मुरैना के आदेश दिनांक 18.7.2008 एंव अनुविभागीय अधिकारी अटेर व्दारा प्रकरण क्रमांक 1/07-08 अपील में पारित आदेश दिनांक 24.1.08 में निकाले गये निष्कर्ष समवर्ती है जिनमें हस्तक्षेप का औचित्य नजर नहीं आता है।

6/ उपरोक्त विवेचना के आधार पर अपर आयुक्त, चम्बल संभाग, मुरैना व्दारा प्र0क0 114/2007-08 अपील में पारित आदेश दिनांक 18-7-08 एंव अनुविभागीय अधिकारी अटेर व्दारा प्रकरण क्रमांक 1/07-08 अपील में पारित आदेश दिनांक 24.1.08 विधिवत् होने से हस्तक्षेप योग्य नहीं हैं। अस्तु अपील अस्वीकार की जाती है। फलतः ग्राम की नामांत्रण पंजी के सरल क्रमांक 9 पर आदेश दि. 20.9.07 से मृतक सुखानंद के स्थान पर जसबंत सिंह के नाम किया गया नामान्तरण यथावत् रहता है।

(एम0के0सिंह)
सदस्य
राजस्व मण्डल,म0प्र0ग्वालियर